

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर
दिनांक: 31.03.2023

No. NER-HQ0PERS(ESTB)/7/2022-DY CPO/GAZ/HQ/NER (83106)

सचिव/स्थापना, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

सलाहकार/निदेशक/सतर्कता/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, लालबाग बड़ोदरा।

महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ एवं महाप्रबन्धक, रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज एवं महाप्रबन्धक/बीएलडब्ल्यू/वाराणसी।

सचिव/महाप्रबन्धक एवं अपर महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

सचिव/सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

सभी मंडल रेल प्रबन्धक, अपर मंडल रेल प्रबन्धक, मुख्य परियोजना प्रबन्धक(गतिशक्ति), पूर्वोत्तर रेलवे।

मुख्यालय/मंडल/मंडलेत्तर ईकाई के सभी कार्मिक, सिगनल अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे।

नियंत्रक असिकारी/वाह्य सर्वग/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी।

सभी निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर रेलवे।

रेलवे वेबसाईड प्रति।

विषय:-ससिदूर्ई, लेवल-08 (ग्रुप-बी) 70 प्रतिशत कोटा के रिक्त पदों के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.12.2022 एवं 02.01.2023 ।

ससिदूर्ई, (संरक्षा कोटि) ग्रुप-बी, 70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध 06 (छः) (05 अनारक्षित 01 अजजा) पदों की नामिका बनाने हेतु लिखित परीक्षा CBT Mode से NAIR द्वारा दिनांक 19.02.2023 को तथा मौखिक परीक्षा दिनांक 29.03.2023 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा ससिदूर्ई, ग्रुप-बी, 70 प्रतिशत कोटा के रिक्त के विरुद्ध अनन्तिम नामिका में रखने हेतु योग्य पाये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम एवं कार्यस्थल	चयन समुदाय
1	श्री धनश्याम चौधरी	एसएसई/टेली/कान./वाराणसी।	अनारक्षित
2	श्री सर्वदानन्द पाण्डेय	एसएसई/सिग/ओएल/लखनऊ।	अनारक्षित
3	श्री अशोक सिंह	एसएसई/ड्राइंग, वाराणसी।	अनारक्षित
4	मो0 परवेज अंसारी	एसएसई/प्रमुसिदूर्ई कार्यालय, गोरखपुर।।	अनारक्षित

उपरोक्त अनन्तिम नामिका वरीयता क्रम के अनुसार है।

नोट:- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2018/E (SCT)1/25/9 dt.22.06.2022 में निहित निर्देशों के आलोक में उपरोक्त नामिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर श्री जरनैल सिंह बैच के मामले में जारी अन्तिम आदेश के अध्याधीन होगी।

उपरोक्त अनन्तिम नामिका महाप्रबन्धक महोदय द्वारा दिनांक-30.03.2023 को अनुमोदित है।

सम्बन्धित कर्मचारी को तदनुसार सूचित कर दिया जाय।


(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज0
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक